

अति आवश्यक / महत्वपूर्ण  
विधानसभा मामला

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
एल.एम. बन्ध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली-110031  
दूरभाष संख्या : 22424989

पत्र सं. : सी.ई.एफ./एस.एस.डब्लू/विधान सभा प्रश्न /2017/

दिनांक

सेवा में

उपसचिव (प्रश्न शाखा),  
दिल्ली सचिवालय  
पुराना सचिवालय  
नई दिल्ली-110054


विषय:- विधान सभा लिखित उत्तर ( अतारांकित) प्रश्न संख्या 52 दिनांक 08-08-2017 के संदर्भ में।

महोदय,

कृपया अधीक्षक ( विकास एवं सिंचाई एवं बाढ़. मंत्रालय ) द्वारा दिनांक 31/07/2017 को भेजे गए उपरोक्त अतारांकित प्रश्न का अवलोकन करें। निर्देशानुसार, उपरोक्त प्रश्न के स्वीकृत उत्तर की 100 प्रतियां आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्त


भवदीय,

  
(रविन्द्र कुमार)  
कार्य सर्वेक्षक

पत्र सं. : सी.ई.एफ./एस.एस.डब्लू/विधान सभा प्रश्न /2017/ 8607-10 दिनांक 07/08/17


प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-


1. अधीक्षक, माननीय विकास एवं सिंचाई एवं बाढ़ मंत्रालय, 7वां तल, ए विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. सचिव, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, वरुणालय, झंडेवालान, करोल बाग, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. निदेशक, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 को प्रश्न के उत्तर की 150 प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ हेतु प्रेषित।


  
कार्य सर्वेक्षक

अतारांकित प्रश्न संख्या : 52  
तारीख : 08.08.2017  
प्रश्नकर्ता : श्री श्रीदत्त शर्मा, विधायक  
क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा 3 वर्ष पूर्व भजनपुरा थाने के पास जल निकासी के लिए पम्प लगाया गया था;	जी नहीं। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा 3 वर्ष पूर्व भजनपुरा थाने के पास जल निकासी के लिए पम्प नहीं लगाया गया था। केवल सम्प का निर्माण किया गया है।
ख)	यदि हाँ, तो इस निकासी पम्प को अब तक क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण है; और	उपरोक्तानुसार।
ग)	इस पम्प को कब तक पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर आम जनता को पानी की आपूर्ति शुरू की जाएगी?	उपरोक्तानुसार।

  
(वाई. के. शर्मा)  
अधीक्षण अभियंता (बाढ़ परिमंडल-I)

  
(रविन्द्र कुमार)  
कार्य सर्वेक्षक

  
(सरबचन सिंह)  
कार्यकारी अभियन्ता (बाढ़ खण्ड-I)